

शापथ-पत्र

समक्ष नोटरी जिला सिविल कार्यालय
(आर.टी.ओ. कार्यालय में पेश करने हेतु)

- मैं पिता/पति
 उम्र वर्ष, निवासी तहसील
 जिला का रहने वाला हूं, जो कि निम्नलिखित कथन पूर्वक बयान करता हूं -
 1. यह है कि मैं वाहन क्रमांक का पंजीकृत रखामी हूं, जिसका
 चेसिस नंबर इंजन नंबर
 मॉडल नं. है। जिसका मार्ग कर तक जमा है।
 2. यह है कि मैं वाहन क्रमांक जो कि
 पिता/पति श्री
 निवासी तहसील
 जिला को विक्री कर दिया हूं। जिसका रकम प्राप्त हो गया है।
 3. यह है कि वाहन क्रमांक को श्री
 पिता के नाम से स्वामित्व अन्तरण किया जाता है तो उसमें
 मुझे एवं वारिसों को कोई आपत्ति नहीं है।
 4. यह है कि विक्री पत्र फार्म नं. 29 एवं 30 में रजिस्टर्ड ऑनर द्वारा मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है।
 5. यह है कि मैंने विक्रेता रजिस्टर्ड ऑनर को वाहन का विक्रय मूल्य पूरी तौर से भुगतान कर दिया है।
 6. यह है कि उक्त वाहन के विक्रय में किसी भी भी प्रकार का विवाद नहीं है।
 7. यह है कि उक्त वाहन के विक्री राशि संबंधी, स्वामित्व अन्तरण संबंधी या अन्य किसी बाबत कोई विवाद होता है तो उसकी पूरी जवाबदारी व्यक्तिगत रूप से विक्रेता एवं हम दोनों की होगी।
 8. यह है कि उक्त वर्णित वाहन का कब्जा विक्रेता द्वारा क्रेता को चाही एवं दरत्तावेज की मूल प्रति आज दिनांक को दे दिया गया है। उक्त वाहन के संबंध में आज से पूर्व हुई किसी भी प्रकार के मामलों की जिम्मेदारी विक्रेता की होगी तथा आज दिनांक के बाद की समस्त जवाबदारी क्रेता की होगी।

Buyer

P शापथकर्ता (क्रेता)

S शापथकर्ता (विक्रेता)

Seller

सत्यापन

- मैं पिता/पति
 पता यह सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त कंडिका 1 से 7 तक
 दी गई सभी जानकारी क्रेता एवं विक्रेता को रचीकार्ग है। हम दोनों ने अपने होशों-हवाश में पढ़कर व समझकर
 आज दिनांक को हस्ताक्षर किया।

शापथकर्ता (क्रेता)

शापथकर्ता (विक्रेता)

मो.नं.

मो.नं.